निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1324) पटना, शुक्रवार, 29 अक्तूबर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

29 अक्तूबर 2026

सं० एल०जी०–01–34/2026/8864/लेज—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर 2026 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अध्यादेश संख्या–05, 2026]
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि संविधान के 101वाँ संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू की गई है तथा उक्त संशोधन के प्रभाव से विज्ञापनों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति (सातवीं अनुसूची की सूची–II की प्रविष्टि 55) GST व्यवस्था में समाहित हो गई है, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक/शहरी क्षेत्र के उपयोग के विशेषाधिकार तथा नगर निकाय द्वारा प्रदत्त विनियामक पर्यवेक्षण के प्रतिफल (quid pro quo) के सिद्धांत पर आधारित "विज्ञापन शुल्क" व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243X तथा 12वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत नगरपालिकाओं को विनियामक सेवाओं हेतु शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्रदत्त है।

जबकि इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धाराओं के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता, नगरपालिका के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य या संपत्ति के निरीक्षण या जाँच करने और प्रतिवेदन देने हेतु विभागीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के साथ ही जिला दण्डाधिकारी को भी प्राधिकृत करने की राज्य सरकार को शक्ति, भवन निर्माण योजना की स्वीकृति एवं नगरपालिका भवन न्यायधिकरण आदि को और अधिक सरल, सुगम, पारदर्शी एवं तर्कसंगत बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

जबकि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों का निराकरण हेतु तत्काल उपबंध करना आवश्यक है।

अतः, भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में, बिहार के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में संशोधन हेतु अध्यादेश प्रख्यापित करना आवश्यक है, क्योंकि राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत नहीं है। अतः निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–

(1) यह अध्यादेश बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 8 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 8 में तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगाः–

''परन्तु यह और भी कि, किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन यथा किसी स्थानीय क्षेत्र को शामिल करना, अपवर्जित करना, विभाजित करना या विलय करना अथवा इस धारा के अधीन नगरपालिका का पुनर्गठन करने के लिए कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि मौजूदा नगरपालिका या उसके अधिकार क्षेत्र वाली स्थानीय संस्था का शेष कार्यकाल छह महीने या उससे कम न हो, ताकि ऐसे पुनर्गठन को धारा 12 की उप–धारा (6) के अधीन होने वाले आम चुनाव के साथ एक ही समय पर किया जा सके।''

3. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 27–अ का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 27–अ को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''27–अ. मुख्य पार्षद के शक्ति तथा कृत्य।–

(1) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा और नगरपालिका की समस्त कार्यपालक शक्तियाँ सशक्त स्थायी समिति में निहित होंगी। नगरपालिका प्रशासन, सशक्त स्थायी समिति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। मुख्य पार्षद ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करेगा, जो सशक्त स्थायी समिति द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हों और इस अधिनियम अथवा इसके अधीन उसे प्रदत्त हों।

(2) मुख्य पार्षद प्रत्येक माह में दो बार नगरपालिका कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आहूत करेगा, जो सामान्यतः प्रत्येक माह के पहले और तीसरे सोमवार को जैसा समिति समय–समय पर निर्धारित करें आयोजित की जाएगी।

परन्तु यह कि, यदि किसी माह के पहले या तीसरे सोमवार को राजपत्रित अवकाश हो या मुख्य पार्षद के विचार में उस दिन बैठक आयोजित किया जाना असुविधाजन्य हो, तो वह कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुए साधारण बैठकों के लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित कर सकेगा।

(3) यदि मुख्य पार्षद उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार सशक्त स्थायी समिति की बैठक आहूत करने में विफल रहता है, तो ऐसी बैठक उप मुख्य पार्षद द्वारा आहूत की जाएगी।

(4) मुख्य पार्षद सशक्त स्थायी समिति एवं पार्षदों के बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। मुख्य पार्षद की अनुपस्थिति में उप मुख्य पार्षद अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने बीच से किसी एक सदस्य का चयन बैठक की अध्यक्षता के लिए करेंगे।

(5) सशक्त स्थायी समिति तथा पार्षदों के बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति ही समिति अथवा बोर्ड के विचारार्थ विषयों का निर्धारण करेगा तथा संबंधित सदस्यों के बीच कार्यसूची (एजेंडा) का प्रसारण ऐसे रीति से करेगा, जैसा वह उचित समझे।

(6) यदि मुख्य पार्षद के विचार में असाधारण परिस्थितियों में किसी कार्य का तत्काल निष्पादन आवश्यक हो तथा ऐसा कार्य सामान्यतः पार्षदों के बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित करता हो, तो वह ऐसे कार्य के निष्पादन का निर्देश दे सकेगा।

परन्तु यह कि, मुख्य पार्षद इस धारा के अधीन की गई कार्रवाई एवं उसके कारणों की सूचना यथाशीघ्र, किन्तु किसी भी दशा में पन्द्रह दिनों के भीतर, पार्षदों के बोर्ड अथवा सशक्त स्थायी समिति को संसूचित करेगा।

4. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 27–आ का संशोधन।**–मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा नगरपालिका के सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होगा। वैसे सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों, जिनकी नियुक्ति इस अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत उसके द्वारा की गई है, का स्थानांतरण, पदस्थापन और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी में निहित होंगे।

परन्तु इस उप धारा का कोई प्रावधान राज्य सरकार अथवा कोई अन्य प्रधिकार द्वारा नगरपालिका में पदस्थापित, प्रतिनियुक्त अथवा संबद्ध पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों सहित वैसे पदाधिकारियों अथवा कर्मचारीयों पर नहीं प्रवृत होगा, जो नगरपालिका के कर्मी नहीं हैं और जिनके स्थानांतरण, पदस्थापन तथा अनुशासनात्मक मामलों में उनके पैतृक संवर्ग अथवा सेवा के नियम तथा आदेश प्रवृत होते रहेगें।

5. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 66 का संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 66 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''निरीक्षण अथवा जाँच करने और प्रतिवेदन देने हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने तथा जिला दण्डाधिकारी से निरीक्षण, जाँच कराने तथा प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार की शक्ति।–

(1) राज्य सरकार अपने किसी पदाधिकारी को नगरपालिका के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य या संपत्ति के निरीक्षण या जाँच करने और इस पर प्रतिवेदन देने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी तथा ऐसा पदाधिकारी, ऐसे निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनार्थ धारा 65 के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जिस जिले में नगरपालिका स्थित है, उस जिले के जिला दण्डाधिकारी, राज्य सरकार के निदेश पर या स्वप्रेरणा से, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर, नगरपालिका के किसी विभाग, कार्यालय, सेवा, कार्य या संपत्ति के निरीक्षण या जाँच प्रारम्भ कर सकेगा तथा उसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करायेगा।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, जिला दण्डाधिकारी एक अथवा अधिक पदाधिकारियों की समिति का गठन कर सकेगा, जो धारा 65 के अधीन राज्य सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

परन्तु यह कि, उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण, परीक्षण अथवा जाँच करने वाला ऐसा पदाधिकारी अथवा उपधारा (3) के अधीन गठित समिति या उसके अंश का सदस्य बनने वाला पदाधिकारी, निम्नलिखित से न्यून कोटि का नहीं होगा–

(क) नगर निगम तथा श्रेणी 'क' एवं 'ख' के नगर परिषद् की स्थिति में राज्य सरकार का कोई उप सचिव; तथा

(ख) नगर परिषद् श्रेणी 'ग' या नगर पंचायत की स्थिति में राज्य सरकार का कोई अवर सचिव।''

6. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 127 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) (च) को विलोपित किया जाएगा।

7. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 129 का संशोधन।**–
उक्त अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (घ) के पश्चात एक नई उपधारा (ड.) निम्नालिखित रूप से से जोड़ी जायेगी;

''**(ड.)** किसी भी प्रकार के विज्ञापन अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन का परिनिर्माण, प्रदर्शन, नियत या प्रतिधारित करना।''

8. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की अध्याय XVII के शीर्षक का संशोधन।**–
बिहार नगरपालिका अधिनियम. 2007 के अध्याय XVII शीर्षक में ''कर'' शब्द के स्थान पर ''शुल्क'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 145 का संशोधन।**–
उक्त अधिनियम की धारा 145 में–

(क) उपधारा (1) में कोई भी व्यक्ति ''न कोई विज्ञापन लगायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न रखेगा'', शब्दों के पश्चात ''विज्ञापन या सार्वजनिक प्रदर्शन का कोई भी तरीका, जिसमें वे (विज्ञापन/प्रदर्शन) भी शामिल हैं जिस पर लगाए गए हों, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है'' वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (1) में किसी जमीन, भवन, दिवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभा, निऑन, आकाशीय चिन्ह शब्दों के पश्चात ''आधार'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) उपधारा (2) के खंड (ग) में ''कर'' शब्द के स्थान पर ''शुल्क'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

10. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 146 का संशोधन।**–
उक्त अधिनियम की धारा 146 में–

(क) उपधारा (1) में ''नगरपालिका'' तथा ''विनियमों'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''राज्य सरकार/नगरपालिका'' तथा ''नियमों/विनियमों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में ''नगरपालिका'' शब्द के स्थान पर ''राज्य सरकार/नगरपालिका'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उपधारा (3) में ''विनियम'' शब्द के स्थान पर ''नियम/विनियमों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) उपधारा (5) में ''एक वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''निधारित अवधि'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 147 का संशोधन।**–
उक्त अधिनियम की धारा 147 में–

(क) शीर्षक ''विज्ञापन कर'' के स्थान पर ''विज्ञापन शुल्क'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (1) में ''ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन, दीवार, होर्डिंग पर या उस पर किसी विज्ञापन, का परिनिर्माण, प्रदर्शन नियत या प्रतिधारित करता है'' शब्दों से पूर्व ''विज्ञापन या सार्वजनिक प्रदर्शन का कोई भी तरीका, जिसमें वे भी शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं'' वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ग) उपधारा (1) में ''किसी जमीन, भवन, दिवार, होर्डिंग, फ्रेम, खंभा, निऑन, आकाशीय चिन्ह'' शब्दों के बाद ''आधार'' शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(घ) उपधारा (1) में ''हवाई अड्डा या बन्दरगाह या रेलवे स्टेशन सहित'' शब्दों के पश्चात ''शहरी सौंदर्य को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, विज्ञापन या होर्डिंग्स के लाइसेंस, विनियमन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना है'' वाक्यांश अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ड.) उपधारा (1) में ''कर'' शब्दों के स्थान पर ''विज्ञापन शुल्क'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(च) उपधारा (2) में ''कर'' शब्दों के स्थान पर ''विज्ञापन शुल्क'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(छ) उपधारा (3) में ''कर'' शब्दों के स्थान पर ''विज्ञापन शुल्क'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

12. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 151 का संशोधन।**–
उक्त अधिनियम की धारा 151, व्याख्या–2. में ''कर'' शब्द के स्थान पर ''शुल्क'' शब्द तथा ''नहीं'' शब्द के स्थान पर ''अन्यथा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. बिहार अधिनियम 11, 2007 में नई धारा 152अ का जोड़ा जाना। –

उक्त अधिनियम की धारा 152 के पश्चात निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगीः

''152अ. **परिचालन एवं सुरक्षा नियमों के उल्लंघनों पर शास्ति करने की शक्ति** – जो कोई भी इस अध्याय के अन्तर्गत विहित किसी संरचनात्मक, विद्युत, सामग्री, पर्यावरणीय, सुरक्षा या अनुरक्षण मानक का उल्लंघन करता है, अथवा किसी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण की किसी महत्वपूर्ण शर्त्तों का उल्लंघन करता है, जहाँ ऐसा उल्लंघन धारा 431 के अधीन शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से दंडनीय नहीं है, वह ऐसे विनियामक परिणाम, प्रवर्तन कार्रवाइयों तथा वित्तीय शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा, जो पाँच लाख रुपये (₹5,00,000) से अनधिक होगा, जैसा कि राज्य सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत अधिरोपित किया जाए।''

14. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 314 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 314 में–

(क) उपधारा (1) में, ''भवन योजना सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों एवं उपविधियों के अन्तर्गत नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो'' शब्दों के स्थान पर ''भवन योजना स्वतः अनुमोदित (Auto-approved) हो अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली उपविधियों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा (1) में खण्ड (क) द्वारा संशोधित पाठ के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–

''परन्तु यह और कि भवन योजना सरकार द्वारा अनिवार्य किए जाने की दशा में ऑनलाइन माध्यम से निर्गत की जा सकेगी।''

(ग) उपधारा (2) का विलोपित किया जाएगा।

15. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 316 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 316 में–

(क) धारा 316 के शीर्षक में आए शब्द ''निबंधित'' के स्थान पर ''सूचीबद्ध'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(1) प्रत्येक सूचीबद्ध वास्तुविद, जो किसी भवन निर्माण योजना का अनुमोदन अथवा उपस्थापित करता है, इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेगा।''

(ग) उपधारा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(2) कोई भी वास्तुविद द्वारा भवन निर्माण योजना को तैयार अथवा तब तक अनुमोदित नहीं करेगा, जब तक कि वह स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि बिहार भवन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अपेक्षित सभी सूचीबद्ध तकनीकी कार्मिकों के अनुमोदन तथा सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र (No Objection Certificate) विधिवत् प्राप्त कर लिए गए हैं।''

(घ) उपधारा (3) में जहाँ–जहाँ ''निबंधित वास्तुविद'' शब्द आए हैं, वहाँ–वहाँ उनके स्थान पर ''सूचीबद्ध वास्तुविद'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 321 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 321 के उपधारा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी भवन उपविधि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस संबंध में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अन्य तिथि से प्रवृत्त होगी।

(2अ) उपधारा (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भवन उप–विधि या उसमें किए गए किसी संशोधन में वह तिथि निर्दिष्ट कर सकती है, जिस तिथि से ऐसी उप–विधि या संशोधन का कोई विशेष प्रावधान प्रभावी होगा, और विभिन्न प्रावधानों के लिए इस प्रकार अलग–अलग तारीखें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, जिनमें उप–विधि या संशोधन के प्रारंभ होने की तिथि से पहले की तिथि भी शामिल है।

परन्तु ऐसे किसी उपबंध को पहले की तिथि से लागू करने के लिए, राज्य सरकार उप–विधि या संशोधन में ऐसी शर्तें, शुल्क और सुरक्षा उपाय निर्धारित कर सकती है जो इस संबंध में आवश्यक हों।

17. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 322 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 322 में–

(क) शीर्षक को निम्नलिखित शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''सूचीबद्ध वास्तुविदों तथा अन्य सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्तियों का रजिस्टर।''

(ख) उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

''(1) राज्य सरकार सूचीबद्ध वास्तुविदों तथा अन्य सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्तियों का एक रजिस्टर संधारित करेगी।''

परन्तु यह कि ऐसा रजिस्टर राज्य सरकार द्वारा डिजिटल प्रारूप में भी संधारित किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई वास्तुविद अथवा सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा निबंधित है, तो किसी नगरपालिका के लिए पृथक् पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।''

(ग) उपधारा (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः

''(2) प्रत्येक वास्तुविद अथवा तकनीकी व्यक्ति, जो अपना नाम राज्य सरकार के रजिस्टर में प्रविष्ट कराना चाहता है, राज्य सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क के साथ, राज्य सरकार को आवेदन करेगा।''

(घ) उपधारा (3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः

''(3) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आवेदक वास्तुविद अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 20, 1972) के अधीन निबंधित वास्तुविद है अथवा सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्ति के लिए विहित आवश्यक अर्हताएँ रखता है, तो उसका नाम राज्य सरकार द्वारा संधारित रजिस्टर में प्रविष्ट कराएगा।''

(ड.) उपधारा (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः

''(4) प्रत्येक सूचीबद्ध वास्तुविद अथवा सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्ति, जो बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रवृत्त होने की तिथि को अथवा उससे पूर्व किसी नगरपालिका में निबंधित अथवा सूचीबद्ध था, वह ऐसे प्रवृत्त की तिथि से छह माह की अवधि तक प्राधिकृत निबंधित वास्तुविद अथवा सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्ति माना जाएगा तथा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् केवल वैसे वास्तुविद एवं तकनीकी व्यक्ति, जिनके नाम राज्य सरकार के रजिस्टर में प्रविष्ट होंगे, भवन निर्माण योजना का अनुमोदन करने के अधिकारी होंगे।''

18. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 328 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 328 की उपधारा (1) में ''नगरपालिका भवन संहिता '' शब्दों के स्थान पर ''बिहार भवन उपविधि'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

19. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 329 का संशोधन।–अधिनियम की धारा 329 में उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (10) जोड़ी जाएगीः

''(10) नगर भवन न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा उसके कम–से–कम एक सदस्य द्वारा संयुक्त रूप से बैठकर संपादित की जाएगी।

परन्तु यह कि, यदि कोई सदस्य किसी कारणवश किसी कार्यवाही को उसके समापन तक संचालित करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उस कार्यवाही को उस चरण से आगे संचालित करेंगे, जहाँ तक पूर्व सदस्य द्वारा अंतिम बार उसकी सुनवाई की गई थी।

परन्तु यह और कि, न्यायाधिकरण के किसी पद में रिक्ति विद्यमान हो अथवा न्यायाधिकरण के गठन के अभाव में न्यायाधिकरण की किसी कार्यवाही या उसके किसी कार्य को न तो प्रश्नगत किया जाएगा और न ही उसे अविधिमान्य माना जाएगा''।

20. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 338 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 338 में–

(क) उपधारा (1) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे :

''परन्तु यह कि ऐसी अनुमति भवन उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किए जाने के अधीन प्रदान की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि निषिद्ध गतिविधियों की सूची के अनुपालन के अधीन, यदि वह क्षेत्र जिसमें परिसर अवस्थित है, मिश्रित उपयोग क्षेत्र (Mixed-use Zone) के रूप में अधिसूचित है अथवा भवन को मिश्रित उपयोग भवन (Mixed-use Building) के रूप में अनुमोदित किया गया है, तो पृथक् अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।''

(ख) उपधाराओं (2) तथा (3) का विलोपित किया जाएगा।

21. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 340 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 340 में, उपधारा (1)(घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाऐंगेः

''परन्तु यह कि ऐसी अनुमति भवन उपविधियों के उपबंधों के अनुसार, अपेक्षित शुल्क का ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किए जाने के अधीन प्रदान की जा सकेगी।

परन्तु यह भी कि यदि वह क्षेत्र, जिसमें परिसर स्थित है, मिश्रित उपयोग क्षेत्र (Mixed-use Zone) के रूप में अधिसूचित है अथवा भवन को मिश्रित उपयोग भवन (Mixed-use Building) के रूप में अनुमोदित किया गया है, तो पृथक् अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।''

22. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 342 का संशोधन।–

उक्त अधिनियम की धारा 342 में–

उपधारा (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः

'' (क) इस अधिनियम में इसके पश्चात तथा उपबंधित को छोड़कर, कोई व्यक्ति अनुसूची में उल्लिखित किसी भी गैर–आवासीय प्रयोजनों के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने की अनुमति नहीं देगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकरी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना या उसकी शर्तों के अनुरूप ऐसी अनुज्ञप्ति प्राप्त न हो।

परन्तु यह कि किसी परिसर के किसी भी गैर–आवासीय उपयोग के संबंध में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसा उपयोग इस अधिनियम के प्रावधानों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या आदेशों के अनुरूप न हो।

परंतु यह और कि ऐसी अनुज्ञप्ति, यथाविहित, इस संबंध में जारी किये जाने वाले अधिसूचना के अनुसार विहित शुल्क के भुगतान पर स्वचालित ऑनलाइन माध्यम से जारी की जा सकेगी।"

(ख) उपधारा (4) में ''नगरपालिका विनियमों द्वारा'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार अथवा नगरपालिका, यथास्थिति, नियमों अथवा विनियमों द्वारा'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उपधारा (4) में ''दो हजार पाँच सौ रुपये'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपये'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) उपधारा (5) में ''नगरपालिका विनियमों द्वारा अवधारित कर सकती है'' शब्दों के स्थान पर ''राज्य सरकार अथवा नगरपालिका, नियमों अथवा विनियमों द्वारा अवधारित कर सकती है '' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ड.) उपधारा (5)(क) में ''वार्षिक'' शब्द को विलोपित किया जाएगा।

(च) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (6) जोड़ी जाएगीः

''(6) यदि किसी अनुज्ञप्ति के संबंध में उपधारा (4) के अधीन देय शुल्क का भुगतान अथवा उसके नवीकरण हेतु निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे शुल्क के अतिरिक्त, राज्य सरकार अथवा नगरपालिका द्वारा, यथास्थिति, बनाए गए नियमों अथवा विनियमों द्वारा निर्धारित दर से, प्रत्येक माह अथवा विलम्ब के लिए देय शुल्क का अधिकतम एक प्रतिशत तक की शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी एक अनुज्ञप्ति अवधि के संबंध में अधिरोपित कुल शास्ति उस अनुज्ञप्ति के लिए देय वार्षिक शुल्क की राशि से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को कम–से–कम पन्द्रह दिनों का लिखित नोटिस न दिया गया हो तथा उसे अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

परन्तु यह और कि यदि अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर शुल्क एवं शास्ति का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति समाप्त (Lapsed) मानी जाएगी तथा उसके पश्चात् परिसर को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्ति के बिना उपयोग किया गया माना जाएगा; तथापि इससे इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन पूर्व में अर्जित किसी देनदारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।''

23. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 343 का संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 343 में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगाः

''परन्तु यह कि ऐसे रजिस्टर, विहित रीति से, पृथक–पृथक अथवा संयुक्त रूप से डिजिटल माध्यम में संधारित किए जा सकेंगे।''

24. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 344 का संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 344 की उपधारा (1) में, ''जो वह उचित समझे।'' शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगाः

''परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से निर्गत की जा सकेगी।''

25. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 345 का संशोधन।–**

उक्त अधिनियम की धारा 345 की उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगाः

''परन्तु यह और कि ऐसी अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा नामित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, विहित रीति से, निर्गत की जा सकेगी।''

26. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 346 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा 346 की उपधारा (1) में, खंड (ग) को विलोपित किया जाएगा।

27. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 398 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 398 को विलोपित किया जाएगा।

28. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 399 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 399 को विलोपित किया जाएगा।

29. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 400 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 400 को विलोपित किया जाएगा।

30. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 401 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 401 को विलोपित किया जाएगा।

31. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 402 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 402 को विलोपित किया जाएगा।

32. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 403 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 403 को विलोपित किया जाएगा।

33. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 408 में संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा 408 की उपधारा (1) और (2) को विलोपित किया जाएगा।

34. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 423 का विलोपन।**– उक्त अधिनियम की धारा 423 को विलोपित किया जाएगा।

35. **बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 431 का संशोधन।**– उक्त अधिनियम की धारा 431 को निम्नलिखित धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा;

अध्याय XVII के अधीन शुल्क का भुगतान नहीं करने पर शास्ति–

(1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन देय शुल्क का भुगतान किए बिना अध्याय XVII में निर्दिष्ट कोई विज्ञापन खड़ा करता है, प्रदर्शित करता है, बैठाता है, अधिकार में रखता है, तो वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उल्लंघन की गुरूता के अधीन निर्धारित शुल्क के गुणक के रूप में गणना

की गई शास्ति तथा ऐसे विज्ञापन को हटाने में नगरपालिका प्राधिकार द्वारा वहन किए गए वास्तविक व्यय का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी उपधारा (1) के अधीन शास्ति का निर्धारण एवं अधिरोपण ऐसी रीति एवं प्रक्रिया से करेंगे, जो विहित की जाए, किन्तु निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

(क) ऐसे उल्लंघन के सभी मामलों में शास्ति निर्धारित शुल्क की दोगुनी होगी, जब तक कि मामले खंड (ख) अथवा (ग) में वर्णित गंभीर परिस्थितियों के अंतर्गत न आता हो;

(ख) ऐसे उल्लंघन लिखित सूचना के पश्चात भी, सूचना में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक जारी रहता है अथवा बार–बार उल्लंघन होता है, किन्तु वह खंड (ग) में वर्णित लोक सुरक्षा अथवा भौतिक रूप से क्षति के गंभीर कारकों को सम्मिलित नहीं करता हो, वहाँ शास्ति निर्धारित शुल्क की तीन गुनी होगी; तथा

(ग) जहाँ उल्लंघन लोक सुरक्षा, लोक स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन, जल निकासी, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा, जर्जर भवन अथवा आपदा प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना पर अथवा उसके पहुँच मार्ग को अवरुद्ध करते हुए किया गया हो अथवा विधिसम्मत नगरपालिका प्रवर्तन कार्यवाही में सक्रिय बाधा उत्पन्न करता हो अथवा ऐसा लगातार उल्लंघन हो, जिसमें इस खंड में निर्दिष्ट लोक सुरक्षा अथवा भौतिक रूप से क्षति के गंभीर कारक सम्मिलित हों, वहाँ शास्ति निर्धारित शुल्क की पाँच गुनी होगी।

व्याख्या.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,– (i) "लगातार उल्लंघन" से अभिप्राय प्रथम निर्धारण आदेश की तिथि से बारह (12) माह की अवधि के भीतर उसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसी परिसर में उसी प्रकृति के द्वितीय अथवा अनुवर्ती उल्लंघन से होगा।

व्याख्या (ii) "नगरपालिका प्रवर्तन" में निरीक्षण, सीलिंग, ध्वस्तीकरण, अतिक्रमण हटाना, बकाया की वसूली, अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण अथवा निलंबन, कार्य रोकना, लोक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों अथवा सूचनाओं के अधीन की गई अन्य कोई कार्रवाई सम्मिलित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जबतक कि उत्तरदायी व्यक्ति को विहित रीति से कारण बताने हेतु सूचना नहीं दी जाए तथा उसे सूचना निर्गत की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाए।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कारण बताने संबंधी सूचना निर्गत किया जाना, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को शास्ति कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उल्लंघनकर्त्ता के व्यय पर अनधिकृत विज्ञापन को तत्काल हटाने से प्रतिबंधित अथवा वंचित नहीं करेगा।

''(4) इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(5) न्यायाधिकरण अथवा, यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा''।

36. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा 438 का संशोधन।–

अधिनियम की धारा 438 में–

(क) उपधारा (1) में–

(i) ''अपराध किए जाने के समय'' शब्दों के स्थान पर ''उल्लंघन किए जाने के समय'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) ''अपराध का दोषी माना जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''उल्लंघन किया हुआ माना जाएगा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) ''दंडित'' शब्द के स्थान पर ''शास्ति अधिरोपित'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक में–

(i) ''दंड'' शब्द के स्थान पर ''शास्ति'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) ''अपराध'' शब्द के स्थान पर ''उल्लंघन'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा

(ग) उपधारा (2) में–

(i) ''वह अपराध'' शब्द के स्थान पर ''वह उल्लंघन'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) ''अपराध किया गया हो'' शब्दों के स्थान पर ''उल्लंघन किया गया हो'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) ''उस अपराध का दोषी'' शब्दों के स्थान पर ''उस उल्लंघन का दोषी'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) ''दंडित'' शब्द के स्थान पर ''शास्ति अधिरोपित'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पटना, **ले ज सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 27 अक्तूबर, 2026 (ई०)। **बिहार राज्यपाल।**

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना, **ले ज सय्यद अता हसनैन,**
दिनांक : 27 अक्तूबर, 2026 (ई०)। **बिहार राज्यपाल।**

विधि विभाग

अधिसूचना
29 अक्तूबर 2026

सं० एल०जी०–01–34/2026/8865/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अक्तूबर 2026 को प्रख्यापित **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026** (बिहार अध्यादेश संख्या–05, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Ordinance No.-05, 2026]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2026

AN

ORDINANCE

to ament the The Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).

Whereas, the 101st Constitutional Amendment introduced the Goods and Services Tax (GST) regime, and by operation of that Amendment the power to levy a tax on advertisements (Entry 55, List II, Seventh Schedule) stands subsumed within the GST framework necessitating a transition to an "Advertisement Fee" founded on the principle of quid pro quo for the specific privilege of using public/urban space and the regulatory oversight rendered by the Urban Local Body;

Whereas, the power to levy fees for regulatory services is preserved for Municipalities under Article 243X read with the Twelfth Schedule of the Constitution of India;

Whereas in addition, it has been felt necessary to remove the inconsistencies between the Hindi and English versions of the Bihar Municipal Act, 2007, Power of the State Government to depute departmental officer as well as authorise the District Magistrate to inspect or Examine any department, office, service, work or property of the Municipality and to submit a report, To make the provisions relating to sanction of

building construction plans and the Municipal Building Tribunal, among others, more simple, accessible, transparent and rational.

Whereas, it is expedient to make provision to meet such exigencies urgently.

Now, therefore, in 77th Year of Republic, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist for exercise of power conferred under Article 213(1) of the Constitution of India, to promulgate an ordinance for amending Bihar Municipal Act, 2007 as the legislature is not in Session. It is therefore enacted, by promulgation of ordinance as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement. —***

(1) This Ordinance may be called the Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. ***Amendment of Section 8 of the Bihar Act 11, 2007.—***

For Section 8, after the third proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided also that no notification for altering the limits of any municipal area by way of inclusion, exclusion, division, or amalgamation, or for reconstituting a Municipality under this section, shall be issued unless the remaining term of office of the existing Municipality or the local authority having jurisdiction over such area is six months or less, so as to synchronize such reconstitution with the general election to be held under sub-section (6) of Section 12."

3. **Amendment of Section 27-A of the Bihar Act 11, 2007.—**

For Section 27-A of the Act, the following shall be substituted:—

“Section 27-A. Powers and functions of the Chief Councillor.

(1) The Chief Councillor shall head the Empowered Standing Committee, and all the executive powers of the Municipality shall vest in the Empowered Standing Committee. The municipal administration shall function under its supervision and control, and the Chief Councillor shall exercise such powers and functions as are delegated to him by the Empowered Standing Committee and conferred on him by or under this Act.

(2) The Chief Councillor shall convene the ordinary meetings of the Empowered Standing Committee at the Municipal Office twice a month, which shall generally be held on the first and third Monday at a time determined by the Committee.

Provided that if the first or third Monday of any month coincides with a gazetted holiday, or if the Chief Councillor determines that such a day is impracticable, he may, by recording the reasons in writing, schedule the ordinary meeting for an alternative date.

(3) If the Chief Councillor fails to convene a meeting of the Empowered Standing Committee as provided, such meeting shall be called by the Deputy Chief Councillor.

(4) The Chief Councillor shall preside over the meetings of the Empowered Standing Committee as well as the Board of Councillors. In the absence of the Chief Councillor, the Deputy Chief Councillor shall preside. In the absence of both, the members present shall elect one among themselves to preside over the meeting.

(5) The person who presides over the meeting of the Empowered Standing Committee or the Board of Councillors shall determine the matters to be discussed at the said meeting and circulate the agenda to the members in such manner as the he, may determine.

(6) The Chief Councillor may, if he is of the opinion that in exceptional circumstances immediate execution of any work is necessary and the same ordinarily requires the approval of the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, direct the execution of such work.

Provided that the Chief Councillor shall report forthwith, and in no case later than fifteen days, to the Board of Councillors or the Empowered Standing Committee, as the case may be, the actions taken under this section and the reasons thereof."

4. ***Amendment of Section 27-B of the Bihar Act 11, 2007.—***

For sub-section (1) of Section 27-B, the following shall be substituted:—

"(1) The Chief Municipal Officer shall be the Principal Executive Officer of the Municipality and all officers and other employees of the Municipality shall be subordinate to him. Powers of transfers & posting & disciplinary action against all officers and staff appointed by him under Section 38 of this Act shall vest in the Chief Municipal Officer.

Provided that nothing in this sub-section shall extend to officers or employees who are not staff of the Municipality, including officers or employees of the State Government or any other authority posted, deputed, or attached to the Municipality, whose transfer, posting, and disciplinary matters shall continue to be governed by the rules and orders applicable to their parent cadre or service."

5. ***Amendment of Section 66 of the Bihar Act 11, 2007.—***Power of State Government to depute officers, and power of District Magistrate to initiate inspection, examination and report.—

(1) The State Government may depute any of its officers to inspect or examine any department, office, service, work or property of the Municipality and to report thereon, and such officer may, for the purpose of such inspection or examination, exercise all the powers of the State Government under section 65.

(2) Without prejudice to sub-section (1), the District Magistrate of the district in which the Municipality is situated may, either on a direction of the State Government or on his own motion, for reasons to be recorded in writing, initiate inspection, examination or enquiry into any department, office, service, work or property of the Municipality, and cause a report to be made thereon.

(3) For the purposes of sub-section (2), the District Magistrate may constitute a committee of one or more officers which shall exercise all the powers of the state government under section 65.

Provided that the officer conducting an inspection, examination or enquiry under sub-section (1) or (2), or constituting or forming part of a committee under sub-section (3), shall be not below the rank of—

(a) a Deputy Secretary to the State Government, in the case of a Municipal Corporation and a Municipal Council of Class 'A' and 'B'; and

(b) an Under Secretary to the State Government, in the case of a Class 'C' Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be:

6. ***Amendment of Section 127 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 127 of the Act, clause (f) of sub-section (1) shall be omitted.

7. ***Amendment of Section 129 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 129 of the Act, after clause (d), the following new clause (e) shall be inserted, —

"(e) erection, exhibition, fixation or retention of any form of advertisement or public display."

8. ***Amendment of Title of Chapter XVII of the Bihar Act 11, 2007. —***

In the Act, in the title of Chapter XVII, for the word "Tax", the word "Fee" shall be substituted.

9. ***Amendment of Section 145 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 145 of the Act, —

(a) in sub-section (1), after the words "No person shall erects, exhibits, fix or retain", the phrase "any form of advertisement or public display, including, but not limited to, those placed" shall be inserted;

(b) in sub-section (1), after the words "any land, building, wall, hoarding, frame, post, kiosk, structure,", the word "base," shall be inserted;

(c) in sub-section (2), in clause (c), for the word "tax", the word "fee" shall be substituted.

10. ***Amendment of Section 146 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 146 of the Act: —

(a) in sub-section (1), for the words "the Municipality" and "the regulations", the words "the State Government or Municipality" and 'the Rules or Regulations' shall be substituted respectively;

(b) in sub-section (2), for the words "the Municipality", the words "the State Government or Municipality respectively" shall be substituted;

(c) in sub-section (3), for the word "regulation", the words 'Rule or Regulations respectively' shall be substituted;

(d) in sub-section (5), for the words "of one year", the words "period as may be prescribed" shall be substituted.

11. ***Amendment of Section 147 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 147 of the Act: —

(a) for the marginal heading "Tax on advertisement", the heading "Fee on advertisement" shall be substituted;

(b) in sub-section (1), before the words "Every person who erects, exhibits, fixes or retains", the phrase "any form of advertisement or public display, including, but not limited to, those placed" shall be inserted;

(c) in sub-section (1), after the words "any land, building, wall, hoarding, frame, post, kiosk, structure,", the word "base," shall be inserted;

(d) in sub-section (1), after the words "including an airport or a port or a railway station shall", the phrase, "for the purpose of licensing, regulation, inspection, and supervision of such displays in the interest of public safety and urban aesthetics," shall be inserted;

(e) in sub-section (1), for the words "a tax", the words "an advertisement fee" shall be substituted;

(f) in sub-section (2), for the word "tax", the words "advertisement fee" shall be substituted;

(g) in sub-section (3), for the word "tax", the words 'advertisement fee' shall be substituted.

12. ***Amendment of Section 151 of the Bihar Act 11, 2007.*** —In Section 151 of the Act, in Explanation II, for the word "tax", the word "fee" shall be substituted; and for the word "not", the words "otherwise" shall be substituted.

13. ***Insertion of new Section 152A in the Bihar Act 11, 2007. —***

After Section 152 of the said Act, the following new section shall be inserted, —

"152A. Power to penalize operational and safety contraventions. — Whoever contravenes any structural, electrical, content, environmental, safety, or maintenance standard prescribed under this Chapter, or violates any material condition of a Licence, permit, or Authorization, where such contravention does not directly attract a penalty for non-payment of fees under Section 431, shall be liable to such regulatory consequences, enforcement actions, and financial penalty not exceeding rupees five lakh (Rs. 5,00,000), as may be prescribed by the State Government or the Municipality under the Rules or Regulations, respectively."

14. ***Amendment of Section 314 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In the Section 314:—

(a) In sub-section (1), for the words "the building plan is approved by a competent Authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the government.", the words "the building plan is auto-approved, or approved by a Competent Authority under the Byelaws to be framed by the State Government" shall be substituted;

(b) In sub-section (1), after the text amended by clause (a), the following proviso shall be inserted: —

"Provided that the building plan may be issued in an online manner, as mandated by the Government."

(c) Sub-section (2) shall be omitted.

15. ***Amendment of Section 316 of the Bihar Act 11, 2007 —***

In Section 316 of the said Act,—

(a) In the marginal heading, for the word "Registered", the word "Empanelled" shall be substituted;

(b) for sub-section (1), the following shall be substituted: —

"(1) Every Empanelled Architect, who approves or submits a building construction plan, shall use the online portal designated by the Government for such purpose."

(c) for sub-section (2), the following shall be substituted: —

"(2) No architect shall prepare or approve a building construction plan unless he has first satisfied himself that all approvals from the Empanelled Technical Personnel and No Objection Certificates from Competent Authorities, as required for the purpose of the Bihar Building Byelaws, have been duly obtained."

(d) In sub-section (3), for the words "registered Architect" wherever they occur, the words "Empanelled Architect" shall be substituted.

16. ***Amendment of Section 321 of the Bihar Act 11, 2007.—***

In Section 321 of the Act, sub-section (2) shall be substituted with the following—

"(2) A Building Bye-law made by the State Government shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette, or on such other date as the State Government may, by notification, specify in that behalf.

(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, in a Building Bye-law or in any amendment thereto, specify the date from which any particular provision of such Bye-law or amendment shall come into force, and different dates may be so specified for different provisions, including a date earlier than the date of commencement of the Bye-law or amendment:

Provided that, to give retrospective effect to any such provision, the State Government may specify such conditions, fees and safeguards in the Bye-law or amendment as may be necessary in that behalf."

17. ***Amendment of Section 322 of the Bihar Act 11, 2007—***

In Section 322 of the said Act,—

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted: —

"Register of Empanelled Architects and other Empanelled Technical Persons."

(b) for sub-section, the following shall be substituted, —

"(1) The State Government shall maintain a register of Empanelled Architects and other Empanelled Technical Persons.

Provided that such register may be maintained by the State Government in a digital format.

Provided further that a separate registration for a municipality shall not be required if the Architect or Empanelled Technical Person is registered by the Government."

(c) for sub-section (2), the following shall be substituted: —

"(2) Every architect or technical person desirous of getting his name included in the register of the State Government shall make an application to the State Government through an online portal as may be designated by the State Government, along with such fee as may be notified by the State Government."

(d) for sub-section (3), the following shall be substituted: —

"(3) On such application being made, the Competent Authority designated by the State Government, on being satisfied that the applicant is a registered architect under the Architects Act, 1972 (Central Act 20 of 1972), or possesses the requisite qualifications prescribed for an Empanelled Technical Person, shall cause his name to be entered in the register maintained by the State Government."

(e) for sub-section (4), the following shall be substituted: —

"(4) Every Empanelled Architect or Empanelled Technical Person who is or was registered or empanelled with any municipality on or before the commencement of the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2026 shall be deemed to be an authorized Empanelled architect or Empanelled Technical Person for a period of six months from the date of such commencement; and after the expiry of such period, only such architects and technical persons whose names are entered in the register of the State Government shall be entitled to approve a Building Construction Plan."

18. ***Amendment of Section 328 of the Bihar Act 11, 2007*—**In Section 328 of the said Act, for sub-section (1), for the words "a Code to be called the Municipal Building Code", the words "a Code to be called the Bihar Building Byelaws" shall be substituted.

19. ***Amendment of Section 329 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 329 of the Act, after sub-section (9), the following new sub-section (10) shall be inserted: —

"(10) Every proceeding before the Municipal Building Tribunal shall be conducted by the Chairperson of that Tribunal and at least one member thereof, sitting together.

Provided that where a member, for any reason, is unable to conduct a proceeding till it is completed, the Chairperson and the other member shall

continue the proceeding from the stage at which it was last heard by the previous member.

Provided further that no act or proceeding of the Tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Tribunal."

20. ***Amendment of Section 338 of the Bihar Act 11, 2007—***

In Section 338 of the said Act,

(a) In sub-section (1), the following provisos shall be added at the end:—

"Provided that such permission may be granted in accordance with the provisions of the Building Byelaws, subject to the payment of the requisite fees through an online mode.

Provided further that, subject to the compliance with the list of prohibited activities, no separate permission shall be required if the zone in which the premises are located has been designated as a mixed-use zone, or if the building has been approved as a mixed-use building."

(b) Sub-sections (2) and (3) shall be omitted.

21. ***Amendment of Section 340 of the Bihar Act 11, 2007—***

In Section 340 of the said Act, for sub-section (1),

(a) In sub-section (1), after clause (d), the following provisos shall be added:—

"Provided that such permission may be granted in accordance with the provisions of the Building Byelaws, subject to the payment of the requisite fees through an online mode.

Provided further that no separate permission shall be required if the zone in which the premises are located has been designated as a mixed-use zone, or if the building has been approved as a mixed-use building."

22. ***Amendment of Section 342 of the Bihar Act 11, 2007—***

In Section 342 of the Act,

(a) In sub-section (1),the following shall be substituted:—

"Except as hereinafter provided in this Act, no person shall use, or permit to be used, any premises for any of the non- residential purposes mentioned in the Schedule without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the Chief Municipal Officer.

Provided that no such licence shall be given in respect of any non-residential use of a premises, if such use is otherwise than in conformity with the provisions of this Act, or any other law for the time being in force, or the rules or the regulations or the orders made thereunder.

Provided further that such a licence may be issued in an automatic online manner, as prescribed, upon the payment of the prescribed fee in accordance with a notification to be issued in this regard."

(b) In sub-section (4), for the words "The Municipality shall, by regulations,", the words "The State Government or Municipality shall, by rules or regulations, respectively," shall be substituted.

(c) In sub-section (4), for the words "rupees two thousand and five hundred", the words "rupees One Lakh" shall be substituted.

(d) In sub-section (5), for the words "The Municipality may, by regulations, determine –" the words "The State Government or Municipality may, by rules or regulations, as the case may be, determine –" shall be substituted.

(e) In sub-section (5)(a), for the words "annual" shall be omitted.

(f) After sub-section (5), the following sub-section shall be added: —

"(6) If the fee payable under sub-section (4) in respect of a licence is not paid within the time prescribed for payment or renewal thereof, the licensee shall be liable to pay, in addition to such fee, a penalty at such rate as may be determined by rules or regulations made by the State Government or Municipality respectively, not exceeding one per cent of the fee due for each month or part thereof of delay.

Provided that the total penalty levied under this sub-section in respect of any one licence period shall not exceed the amount of the annual fee payable in respect of such licence.

Provided further that no penalty shall be levied under this sub-section unless the licensee has been given not less than fifteen days' notice in writing of the default and a reasonable opportunity of showing cause against the levy of such penalty:

Provided also that if the fee together with the penalty is not paid within thirty days of the expiry of the licence, the licence shall be deemed to have lapsed, and the premises shall thereafter be deemed to be used without a licence for the purposes of sub-section (1), without prejudice to any liability already incurred under this Act or the rules or regulations made thereunder."

23. ***Amendment of Section 343 of the Bihar Act 11, 2007*—**In Section 343 of the said Act, after clause (b), the following proviso shall be inserted, —

"Provided that such Registers may be maintained, either individually or jointly, in a digital manner as may be prescribed."

24. ***Amendment of Section 344 of the Bihar Act 11, 2007*—**In Section 344 of the said Act, in sub-section (1), after the words "as he may deem fit", the following proviso shall be inserted, —

"Provided that such licence may be issued automatically through an online portal as may be designated by the State Government."

25. ***Amendment of Section 345 of the Bihar Act 11, 2007*—**In Section 345 of the said Act, in sub-section (1), after the second proviso, the following proviso shall be inserted-

"Provided also that such licence may be issued through an online portal as may be designated by the State Government, in such manner as may be prescribed."

26. ***Amendment of Section 346 of the Bihar Act 11, 2007.*** **—** In Section 346 of the said Act, in sub-section (1), clause (c) shall be omitted.

27. ***Omission of Section 398 of the Bihar Act 11, 2007.*** — Section 398 of the said Act shall be omitted.

28. ***Omission of Section 399 of the Bihar Act 11, 2007.*** — Section 399 of the said Act shall be omitted.

29. ***Omission of Section 400 of the Bihar Act 11, 2007.***— Section 400 of the said Act shall be omitted.

30. ***Omission of Section 401 of the Bihar Act 11, 2007.***— Section 401 of the said Act shall be omitted.

31. ***Omission of Section 402 of the Bihar Act 11, 2007.***— Section 402 of the said Act shall be omitted.

32. ***Omission of Section 403 of the Bihar Act 11, 2007.***— Section 403 of the said Act shall be omitted.

33. ***Amendment of Section 408 of the Bihar Act 11, 2007.***— In Section 408 of the said Act, sub-sections (1) and (2) shall be omitted.

34. ***Omission of Section 423 of the Bihar Act 11, 2007.***— Section 423 of the said Act shall be omitted.

35. ***Amendment of Section 431 of the Bihar Act 11, 2007.***— For Section 431 of the said Act, the following shall be substituted:

"431. Penalty for not paying fee under Chapter XVII. —

(1) If any person erects, exhibits, fixes or retains any advertisement referred to in Chapter XVII, without paying any fee under that chapter, he shall be liable to pay a penalty, calculated as a multiple of the unpaid fee determined with reference to the gravity of the contravention as specified in sub-section (2), together with the actual costs incurred by the Municipal Authority in removal of such advertisement.

(2) The Chief Municipal Officer shall assess and levy the penalty under sub-section (1) in such manner and procedure as may be prescribed, subject to the following: —

(a) in all cases of contravention, the penalty shall be two times the unpaid fee, unless it falls under the aggravating circumstances as specified in clause (b) or (c);

(b) where the contravention continues after the service of a written notice, for more than the time stipulated in such notice; or constitutes a repeated contravention, provided it does not involve any of the severe public safety or physical damage factors as specified in clause (c), the penalty shall be three times the unpaid fee; and

(c) where the contravention occurs on or blocks access to infrastructure related to public safety, public health, traffic management, drainage, sanitation, fire safety, dangerous buildings, or disaster management; or actively obstructs ongoing lawful municipal enforcement; or constitutes a repeated contravention that involves any of the severe public safety or physical damage factors

as specified in this clause, the penalty shall be five times the unpaid fee.

Explanation. — For the purposes of this section, —

(i) "repeated contravention" means a second or subsequent contravention of the same nature by the same person or at the same premises within a period of twelve (12) months from the date of the first assessment order; and

(ii) "municipal enforcement" includes inspection, sealing, demolition, removal of encroachment, recovery of dues, cancellation or suspension of licence, stopping of work, public health action or any other action under this Act, the rules, regulations, bye-laws, orders or notices made thereunder.

(3) No penalty under sub-section (2) shall be imposed without first serving a show-cause notice to the person liable in the manner as may be prescribed, giving them an opportunity to submit a written explanation within seven (7) days from the date of such service of notice.

Provided that the issuance of a show-cause notice under this sub-section shall not restrict or prevent the Chief Municipal Officer from immediately removing the unauthorized advertisement at the cost of the violator during the pendency of the penalty proceedings.

(4) Any person aggrieved by an order passed under this section may, within thirty (30) days of the communication of such order, prefer an appeal before an Appellate Authority as may be appointed by the State Government in this behalf by notification.

(5) The decision of the Tribunal or Appellate Authority shall be final and binding upon the parties."

36. ***Amendment of Section 438 of the Bihar Act 11, 2007. —***

In Section 438 of the Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "at the time the offence was committed", the words "at the time, the contravention was committed" shall be substituted;

(ii) for the words "shall be deemed to be guilty of the offence", the words "shall be deemed to have committed the contravention" shall be substituted;

(iii) for the word "punished", the word "penalized" shall be substituted;

(b) in the proviso to sub-section (1),—

(i) for the word "punishment", the word "penalty" shall be substituted;

(ii) for the word "offence", the words "contravention" shall be substituted;

(c) in sub-section (2),—

(i) for the words "where an offence", the words "where the contravention" shall be substituted;

(ii) for the words "the offence has been committed", the words "the contravention has been committed" shall be substituted;

(iii) for the words "guilty of that offence", the words "guilty of that contravention" shall be substituted;

(iv) for the word "punished", the word "penalized" shall be substituted.

Patna, **L T GEN SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***27th October, 2026*** ***Governor of Bihar.***

In exercise of the powers conferred under article 213 (1) of the Constitution, I hereby, promulgates this Ordinance.

Patna, **L T GEN SYED ATA HASNAIN,**
Dated: ***27th October, 2026*** ***Governor of Bihar.***

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1324-571+400-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in